"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 316 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

सामान्य प्रशासन विभाग
(शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-10/2004/1-9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, राज्य शासन सेवा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(एक) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य शासकीय सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.

(दो) ये नियम "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्ति करने की नीति, 2007 (अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2007) से शासित होंगे."

(तीन) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन या ऐसा प्राधिकारी, जिसे सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति, उस सेवा या पद से संबंधित भर्ती नियम में प्रदत्त की गई हो अथवा राज्य शासन द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त की गई हो या इसके पश्चात् प्रदत्त की जाये;

(ख) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(ग) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "विभागीय भरती नियम" से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा या पद पर नियुक्ति हेतु प्रचलित सेवा भर्ती नियम;

(च) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(छ) "नीति" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में नियुक्त करने की नीति, 2007" (अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2007).

3. **सेवा में नियुक्ति** :—

(क) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर निम्नानुसार नियुक्ति प्राधिकारी होंगे :—

(एक) जिला स्तर पर विभाग का जिला प्रमुख.

(दो) संभाग स्तर पर संभागीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष.

(तीन) शासन स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव.

(ख) पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी, रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी को उस विशिष्ट रिक्त पद के लिये आवेदन प्रस्तुत करेंगे जिसके साथ शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य संबंधित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति भी संलग्न होगी तथा उसकी एक प्रति आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी अग्रेषित करेंगे.

(ग) यदि नियुक्ति प्राधिकारी यह पाता है कि आवेदित पद, अभिलेख के अनुसार रिक्त है तो आरक्षण रोस्टर नियम का कठोरता से पालन करते हुए, उसके आवेदन की छानबीन करने के पश्चात् उक्त रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति के लिये उत्कृष्ट खिलाड़ी को नियुक्ति आदेश जारी करेगा.

(घ) विभाग/संभाग/जिला स्तर पर पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति आदेश जारी करने संबंधी सूचना, बिना असफल हुए सामान्य प्रशासन विभाग के साथ-साथ आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी संसूचित किया जाना अनिवार्य होगा.

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति देने के पूर्व, किसी विशिष्ट खेल (गेम/स्पोर्ट्स) में खिलाड़ी की उत्कृष्टता संबंधी प्रमाण-पत्र का नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से सत्यापित/जांच कराया जाना अनिवार्य होगा.

(ङ) आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) के पदों के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा उसकी प्रति आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को भी अग्रेषित करेंगे. यदि अभ्यर्थी उक्त पद हेतु उपयुक्त हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, आयोग से जांच एवं लिखित अनुमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेगा.

(च) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, एशियाड, कामनवेल्थ, एशियन चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, वे राज्य शासन की सेवा में पुलिस विभाग (होमगार्ड सहित), वन विभाग, जेल विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत आबकारी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग में द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए अपना आवेदन विभागीय

सचिव को प्रस्तुत करेंगे एवं सामान्य प्रशासन विभाग के साथ-साथ खेल विभाग को भी संसूचित करेंगे. अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यता संबंधी अर्हताओं को पूर्ण करने की स्थिति में आयोग से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् विभाग, उसकी जांच/अनुमोदन अभिप्राप्त करने हेतु उसे मंत्रि-परिषद् को अग्रेषित करेंगे तथा मंत्री-परिषद् से जांच/अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही, नियुक्ति प्राधिकारी, संबंधित उत्कृष्ट खिलाड़ी को नियुक्ति आदेश जारी करेगा. चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति रिक्त पदों की उपलब्धता के अनुसार ही दी जायेगी.

4. **नियुक्ति के लिए पात्रता :—** उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए पात्रता वही होगी जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निर्धारित है.

(क) वह अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी हो.

(ख) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आयु सीमा के संबंध में ऐसे निर्देश लागू होंगे जैसा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किया जाए.

(ग) उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं वही होगी जो विभागीय सेवा भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट है.

5. **आरक्षण :—**उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा महिलाओं, नि:शक्तजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश एवं उसमें विहित किये गये नियम/निर्देश भी लागू होंगे.

6. **परिवीक्षा :—** सेवा में भर्ती किये गये प्रत्येक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये परिवीक्षा अवधि विभागीय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार होगी.

7. **अन्य शर्तें :—**

(एक) नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे.

(दो) उस विशिष्ट पद पर एक बार नियुक्त किये जाने के उपरांत उत्कृष्ट खिलाड़ी अपनी नियुक्ति के पद या स्थान परिवर्तन के संबंध में कोई भी अन्य आवेदन (मांगपत्र) प्रस्तुत नहीं करेंगे यदि उसे इस प्रकार करते हुए पाया जाता है तो वर्तमान में नियुक्त किये गये शासकीय पद के लिए उसे अपात्र घोषित किया जाएगा.

(तीन) लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये जाने वाले उन पदों के संबंध में जो कि अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित है, के लिए आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा उस पर बंधनकारी होगा.

(चार) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी जो भारत सरकार अथवा राज्य शासन के विभागों या निगमों/मण्डलों/आयोग/उपक्रमों में नियोजित हों, वे नियुक्ति के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे.

8. **निर्वचन :—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में, कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

Raipur, the 7th December 2010

NOTIFICATION

No. F 6-10/2004/1-9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of Distinguished Players of the State Government Service, namely :—

1. **Short Title and Commencement :—**

(i) These rules may be called "The State of Chhattisgarh, Distinguished Players in the Government Service Recruitment Rules, 2010".

(ii) These rules shall be governed by "Chhattisgarh Utkrishta Khiladiyon Ko Shasakiya Sewa me Niyukti Karne Ki Neeti, 2007 (Notification 18 October, 2007)".

(iii) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :—** In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) In relation to any service or post "Appointing Authority" in respect to any service or post means the Government or the Authority that has been conferred with powers to appoint on the service or post, conferred in the Recruitment Rules regarding the service or post or conferred by the State Government by general or specific order or later on conferred hereafter;

(b) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(c) "State" means the State of Chhattisgarh;

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(e) "Department Recruitment Rules" means current Service Recruitment Rules for appointment on the related service or post;

(f) "Commission" means Chhattisgarh Public Service Commission;

(g) "Policy" means "Chhattisgarh Utkrishta Khiladiyon Ko Shasakiya Sewa Me Niyukti Karne Ki Neeti, 2007 (Notification 18 October, 2007)".

3. **Appointment in Service :—**

(a) Appointing Authority on the vacant posts of Third and Forth Class Vacancies shall be :—

(i) District head of department at the district level.

(ii) Divisional Officer/Head of Department at Divisional level..

(iii) Secretary of related department at the Government level.

(b) On the basis of availability of vacancies, eligible Distinguished Player shall apply for the particular vacant post along with Xerox copies of Educational Qualifications & other related certificates to the Appointing Authority and a set of same shall also forward to the Commissioner of Sports & Youth Welfare Department.

(c) If the Appointing Authority finds that the post applied-for is vacant as per records, shall issue appointment order to the Distinguished Player after scrutiny of his/her application for appointment against the above said vacant post by strictly observing Reservation Roaster Rules.

(d) Information regarding issuance of Appointment Order to the Distinguished Players at the Department/Division/District level has to be compulsorily communicated to General Administration Department as well as to Commissioner, Sports and Youth Welfare Department without fail.

Before giving appointment to the Distinguished Player by the Appointing Authority, the certification regarding the player's excellence in any particular Game/Sport is compulsorily got to be verified/vetted from the General Administration Department by the Appointing Authoirity.

(e) For filling-up the posts of Class-III (Executive) through Commission, the Distinguished Player shall submit his application to the Head of the Department of concerning department and shall forward the copy of the same to the Commissioner, Sport and Youth Welfare Department. If the candidate is suitable for the said post, then Appointing Authority shall issue the appointment order but only after vetting and obtaining the written permission from the Commission.

(f) Those Distinguished Players who have won Medals in the Olympic, Ashiad, Common Wealth & Asian Championship Games are eligible to apply for Class-II cadre posts to serve in different State Government Department, viz. Police Department (including Home Guard), Forest Department, Jail Department, Excise Department under Commercial Tax Department, School Education Department,

Higher Education & Technical Education Department, Scheduled Caste Scheduled Tribe Backward Class & Minority Welfare Department, Sports & Youth Welfare Department and further the Distinguished Player shall submit his/her application to the Departmental Secretary and intimate the General Administration Department as well as Sports Department. The department after ensuring the suitability with regard to Educational as well as other relevant qualifications of eligible candidates shall forward the application for obtaining approval from the Commission and thereafter the department shall farward the same to the Cabinet for getting their vetting/approval. And only after getting the vetting/approval from the Cabinet, the Appointing Authority shall issue the appointment order to the concerned Distinguished Player. the recruitment of selected distinguished player is strictly subject to availability of vacant posts.

4. **Eligibility for Appointment :—** Eligibility for appointment of Distinguished Players shall be the same as prescribed in the Rules of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961.

(a) The candidates shall be local domicile of State of Chhattisgarh.

(b) For appointment of Distinguished Players in Government service, the intructions of age limit as issued from time to time by the General Administration Department shall be applicable.

(c) Minimum Educational Qualifications and other qualifications for appointment of Distinguished Players are same as specified in the Departmental Service Recruitment Rules.

5. **Reservation :—** Chhattisgarh Public Service Commission (Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and directions regarding reservation for Women, Handicapped and Ex-servicemen issued by General Administration Department from time to time and Rules/Instructions prescribed therein shall also be applicable to the appointment of Distinguished Players.

6. **Probation :—** The probation period for Every Distinguished Player recruited to the Government service shall be as per the Departmental Service Recruitment Rules.

7. **Other Conditions :—**

(i) Appointed Distinguished Players shall be governed by Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules, 1965.

(ii) Once appointment is made to a particular post, the Distinguished Player should not submit any further requisition with regard to change of post or place of his appointment. If he/she found doing so, he/she would be decared unfit for the present appointed government post.

(iii) The Commission's decision is final and binding upon so far as eligibility of candidates is concerned with regard to the posts that are to be recruited through the Public Service Commission.

(iv) Such Distinguished Players who are already employed in the Departments or Corporations/Boards/Commission/Undertakings of Government of India or State Government shall not be eligible for applying for appointment.

8. **Interpretation :—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. टोप्पो**, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.